भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 2931**
दिनांक 08.08.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

**राजस्थान में पेयजल संकट**

**2931. श्रीमती संजना जाटवः**

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों में जल स्तर में लगातार गिरावट के कारण उत्पन्न गंभीर पेयजल संकट से अवगत है;
(ख) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, अलवर जिले पिछले पांच वर्षों से जल संकट का सामना कर रहे हैं;
(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का उक्त जिलों में पेयजल के लिए कोई विशेष योजना कार्यान्वित करने का विचार है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ङ) भारत सरकार देश के सभी ग्रामीण परिवारों को नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता तथा पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित और पीने योग्य नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य के लिए, भारत सरकार ने राजस्थान सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से कार्यान्वित किए जाने वाले जल जीवन मिशन (जेजेएम) की अगस्त 2019 में शुरुआत की। पेयजल राज्य का विषय है और इसलिए जल जीवन मिशन के तहत योजनाओं सहित पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है।

जल जीवन मिशन एक सार्वभौमिक कार्यसंपूर्णता दृष्टिकोण अपनाता है और राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर और अलवर जिलों के ग्रामीण परिवारों सहित देश के सभी ग्रामीण परिवारों को कवर करता है। जल जीवन मिशन के शुभारंभ के बाद से देश के ग्रामीण परिवारों हेतु नल जल संबंधी सुविधा में विस्तार करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, 05.08.2024 तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, जेजेएम के तहत लगभग 11.80 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 05.08.2024 तक, देश के 19.32 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.04 करोड़ (77.87%) से अधिक ग्रामीण परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध होने की सूचना है।

राजस्थान राज्य सरकार द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 15.08.2019 को राज्य में जल जीवन मिशन के शुभारंभ के समय केवल 11.68 लाख ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन थे। तब से, 43.99 लाख और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 05.08.2024 तक, राज्य में 107.09 लाख ग्रामीण परिवारों में से 55.68 लाख (51.99%) से अधिक ग्रामीण परिवारों हेतु नल जल आपूर्ति का प्रावधान उपलब्ध है।

इसके अलावा, गांवों में जल आपूर्ति प्रणाली को दीर्घकालिक स्थिरता प्रदान करने के लिए विश्वसनीय पेयजल स्रोतों का विकास और/या मौजूदा स्रोतों का संवर्धन, जल जीवन मिशन का एक अभिन्न अंग है। ग्राम समुदाय द्वारा ग्राम कार्य योजना (वीएपी) तैयार करने के लिए प्रावधान किया गया है जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* मनरेगा, ग्रामीण स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं को वित्त आयोग अनुदान, सांसद और विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि, जिला खनिज विकास निधि, सीएसआर निधि आदि जैसी अन्य स्कीमों के साथ अभिसरण करके पेयजल स्रोतों का सुदृढ़ीकरण करना शामिल है।

*****